बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, पटना

(निबंधित कार्यालयः विद्युत भवन, बेली रोड पटना–800001)

CIN – U40102BR2012SGC018889

मानव संसाधन एवं प्रशासन विभाग

संकल्प सं0:– III/Accts/Alleg-26002/19 394 दिनांकः– 03/02/2020

बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड की पुस्तकों में गलत रूप से अंकित राज्य सरकार के ऋण और उस पर भारित ब्याज की अनियमितता के मामले में निदेशक मंडल द्वारा 76वीं बैठक में पारित संकल्प के आलोक में श्री प्रमोद तिवारी, महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) को प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए विभागीय करवाई संचालित की गई।

जाँच पदाधिकारी द्वारा नियमानुसार जाँच की प्रक्रिया पूर्ण कर सभी अभिलेखों के साथ जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। जाँच पदाधिकारी द्वारा श्री तिवारी के विरुद्ध लगाये गये सभी 6 आरोपों को प्रमाणित पाया गया। तदुपरान्त जाँच प्रतिवेदन एवं अन्य सम्बन्धित अभिलेखों के समीक्षोपरान्त जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए श्री तिवारी से द्वितीय कारण पृच्छा करने का निर्णय लिया गया। श्री तिवारी द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा के उत्तर में कोई ऐसा तथ्य नहीं रखा गया है जिससे यह संपुष्ट होता हो कि श्री प्रमोद तिवारी द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए वित्तीय अनियमितता नहीं की है।

उक्त सन्दर्भ में जांच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि ऊर्जा विभाग (बिहार सरकार) के पत्रांक 2175 दिनांक 30.06.2014 द्वारा बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के पुनर्गठन के पश्चात् पुनर्गठित पाँचों कम्पनियों को राज्य योजना के अन्तर्गत उपलब्ध कराई जाने वाली राशि को अंश पूंजी के रुप में निवेश की स्वीकृति प्रदान की गई थी परन्तु आरोपित पदाधिकारी श्री प्रमोद तिवारी के द्वारा BSPTCL को बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के पुनर्गठन से पत्रांक 2175 दिनांक 30.06.2014 के निर्गमन तक प्राप्त रूपया 195.9595 करोड़ की राशि को जान–बूझ कर अपनी सुविधानुसार ऋण के रूप में गलत प्रकार से में लेखांकित किया गया तथा कंपनी प्रबंधन को अपूर्ण एवं भ्रामक जानकारी देकर वित्तीय अनियमितता की गई है। साथ ही श्री प्रमोद तिवारी के द्वारा महालेखाकार एवं आयकर विभाग जैसे वैधानिक संस्थाओं के समक्ष गलत एवं भ्रामक सूचनाऐं प्रस्तुत की गई। आरोपित पदाधिकारी श्री प्रमोद तिवारी के द्वारा BSPTCL एवं BSP(H)CL के मध्य होने वाले लेन–देन को अनावश्यक रुप से भ्रम की स्थिति उत्पन्न करने के उद्देश्य से BSPTCL एवं ऊर्जा विभाग और वित्त विभाग के मध्य का बनाकर प्रस्तुत किया गया। इस संदर्भ में श्री प्रमोद तिवारी ने दिनांक 17.08.2016 के अपने प्रस्ताव पर प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रान्सिमिशन कंपनी लिमिटेड से प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार को संबोधित एक पत्र पर अनुमोदन प्राप्त किया। इस प्रस्ताव पर कंपनी प्रबंधन से अनुमोदन प्राप्त करने का श्री प्रमोद तिवारी का एक

मात्र उद्देश्य विभिन्न अंकेक्षण आपत्तियों से अपने बचाव के लिए अभिलेख तैयार करना था क्योंकि श्री प्रमोद तिवारी ने अपने पद का दुरूपयोग करते हुए प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रान्सिमिशन कंपनी लिमिटेड से प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार को संबोधित पत्र प्रारूप पर अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त इस पत्र को निर्गत नहीं होने दिया। आरोपित पदाधिकारी श्री प्रमोद तिवारी को वर्ष 2017–18 के अंकेक्षण के क्रम में जब यह अंदेशा हो गया कि उनके द्वारा वर्ष 2014 से ही की जा रही वित्तीय अनियमितता संज्ञान में आ सकती है तो श्री प्रमोद तिवारी के द्वारा कंपनी के निदेशक मंडल की 69वीं बैठक में बिना प्रबंध निदेशक की किसी पूर्व अनुमति के एक बार पुनः अपूर्ण एवं गलत तथ्यों के आधार पर अन्य राशि रूपया 3616.7441 करोड़ के साथ रूपया 195.9595 करोड़ को जोड़ते हुए यह प्रस्ताव दिया गया कि यह समस्त रूपया 3812.7036 करोड़ की राशि अंशपूँजी के आवंटन योग्य है और श्री प्रमोद तिवारी के द्वारा अपने स्वेच्छाचारिता से बनाये तथाकथित ऋण को अंशपूंजी में परिवर्तित करा लिया गया। श्री प्रमोद तिवारी के द्वारा इस संदर्भ में प्रबंध निदेशक से कोई अनुमोदन प्राप्त ही नही किया गया है। निदेशकमंडल के समक्ष गलत तथ्य देने का यह अत्यन्त ही गंभीर मामला है। आरोपित पदाधिकारी श्री प्रमोद तिवारी ने सदैव एक सोची समझी साजिश के तहत अपने पद का दुरूपयोग करते हुए स्वेच्छाचारी आचरण और जालसाजी प्रवृत्ति के तहत अपनी सुविधानुसार रूपया 195.9595 करोड़ का ना केवल गलत लेखांकन किया है अपितु कंपनी प्रबंधन एवं निदेशक मंडल को भी विरोधाभासी, अपूर्ण एवं तथ्यों के आधार पर गुमराह करने का कदाचार किया है। श्री प्रमोद तिवारी के द्वारा अपनी सुविधानुसार ऋण के गलत प्रकार से में लेखांकित किये जाने के कारण कम्पनी को रूपया 30.19 करोड़ के अपरिहार्य कर दायित्व का भुगतान करना पड़ा है । आरोपित पदाधिकारी के द्वारा आयकर विभाग को दिये गये गलत तथ्यों के कारण निर्धारण प्रक्रिया में कर दायित्व बढ़ने की संभावना है। आरोपित पदाधिकारी श्री प्रमोद तिवारी के द्वारा रूपया 144.59 करोड़ की राशि को जान–बूझ कर अपनी सुविधानुसार ऋण के रूप में गलत प्रकार से प्रस्तुत किया गया। श्री प्रमोद तिवारी ने कंपनी के वार्षिक लेखों में राज्य योजना से स्वीकृत रू० 200.86 करोड़ में से वित्तीय वर्ष 2013–14 में बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड से प्राप्त रूपया 55.89 करोड को तो अतंर कंपनी मद में लेखांकित किया वहीं दूसरी तरफ वित्तीय वर्ष 2016–17 में होल्डिंग कम्पनी से प्राप्त रूपया 144.59 करोड को राज्य सरकार के ऋण के रूप में लेखांकित किया और बिना किसी प्रधिकार के इस तथाकथित ऋण पर मनमाने तरीके से 10.50 प्रतिशत की दर से ब्याज भी भारित किया।

जांच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार द्वारा दिए गए आदेश संख्या 2175 दिनांक 30.06.2014 की अवहेलना की गई है। श्री प्रमोद तिवारी द्वारा जहाँ एक तरफ तथाकथित ऋण की राशि पर वर्ष 2014 से वर्ष 2018 तक की अवधि में ब्याज के रूप में

रूपया–1,15,59,01,563/– को कम्पनी के लाभ हानि खाते में डेबिट किया गया जिसके फलस्वरूप रूपया–1,15,59,01,563/– जो कि कम्पनी का वास्तविक खर्च नहीं था, वह भी कम्पनी के टैरिफ के माध्यम कम्पनी को प्रतिपूर्ति के रूप में प्राप्त हो गया। वहीं दूसरी तरफ रूपया 195.9595 करोड़ को बैंकों में रखने से जो ब्याज अर्जित हुआ उसे श्री प्रमोद तिवारी द्वारा "Accretion of Interest on Capital Fund" नामक नए खाते का सृजन कर ऋण के संबंध में होने वाले लेखांकन के सर्वथा विपरीत उसे लाभ हानि खाते में क्रेडिट करने के स्थान पर उसे तुलनपत्र के मद में हस्तांतरित कर दिया गया। इस प्रकार अर्जित ब्याज के रूप में भी श्री प्रमोद तिवारी के द्वारा रूपया 69,56,14,673/– को लाभ हानि खाते से अलग कर दिया गया जो कि कम्पनी के टैरिफ निर्धारण का अंग नहीं बना। इस कारण बिहार की जनता को दी जाने वाली बिजली प्रारम्भिक रूप से रूपया–1,85,15,16,236/– से मंहगी हो गयी। इस समस्त राशि का उपयोग श्री प्रमोद तिवारी द्वारा अपने मनमाने ढंग से किया गया। अपने इस कृत्य को सही बनाने के उद्देश्य से अलग–अगल संस्थाओं यथा अंकेक्षकों और आयकर विभाग को गुमराह करते हुए उनके समक्ष राज्यादेश संख्या–2175 को श्री प्रमोद तिवारी द्वारा अलग–अलग प्रकार से प्रस्तुत किया गया है। अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि पत्रांक–2175 दिनांक 30.06.2014 का अनुपालन न किये जाने के संबंध में श्री प्रमोद तिवारी द्वारा अंकेक्षकों को समर्पित प्रतिवेदन में रूपया 195.9595 करोड़ को ऋण के रूप में प्रदर्शित किया गया है जबकि आयकर विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 के कर निर्धारण के क्रम में की गई पृच्छा के उत्तर में श्री प्रमोद तिवारी द्वारा ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या–2175 दिनांक 30.06.2014 के हवाले से यह प्रतिवेदित किया गया है कि बिहार स्टेट पावर ट्रान्सिमिशन कंपनी लिमिटेड को राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई समस्त राशि अंशपूँजी के रूप में दी गई है इसलिए कंपनी के पास जो भी धनराशि बैंको में रखी गई है वह सरकार की अंशपूँजी है।इस संबंध में आयकर निर्धारण अधिकारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए पारित आदेश का उद्धरण निम्न प्रकार है:–

"The Assessee was asked to why rest of the interest receipts amounting to Rs. 69,56,14,673/- has not been credited to P&L Account as its revenue receipt of the year. In response thereto the Assessee made a written submission wherein it was contended that the accrued interest was on the project funds of the State Government and therefore these are capital receipts. Along with the submission, the Assessee enclosed two letters issued by the State Government in one of which the decision taken to the effect that the project grants of the State Government will be treated as Equity Capital has been communicated to AG, Bihar".

श्री प्रमोद तिवारी द्वारा इस संबंध में अपने उत्तर में कोई भी जिक्र नहीं किया गया है कि उनके द्वारा क्यों अलग–अलग संस्थाओं के समक्ष अलग–अलग तथ्य प्रस्तुत किया गया। श्री तिवारी के इस कृत्य से कंपनी को रूपया 30.19 करोड़ के अपरिहार्य दायित्व का भुगतान करना पड़ा है। श्री तिवारी के द्वारा यह कहा जाना कि उनका लेखांकन BOD/CAG/Statutory auditor द्वारा अनुमोदित था, पूरी तरह से तथ्य विहिन एवं सत्य से परे है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि CAG/Statutory auditor द्वारा सदैव इस लेखांकन पर प्रतिकूल टिप्पणी की जाती रही है जिसका उत्तर भी श्री तिवारी के द्वारा ही बनाया जाता था। Statutory auditor द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 के अपने अंकेक्षण प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से लिखा है कि श्री प्रमोद तिवारी द्वारा अंकेक्षकों को वर्ष 2014–15 से ही गुमराह किया जा रहा है। अंकेक्षण प्रतिवेदन का उद्धरण निम्न प्रकार है :–

As explained to us last year that this amount represents loan from Government of Bihar received through Bihar State Piwer Holding Company. However as per letter by Government of Bihar, Energy Department vide its letter no.-2175 dated-30.06.2014, this amount was disbursed as equity capital.

However we were given by the management another letter no.-3282 dated-28.09.2017 addressed to Chief Secretary, Energy Department of Govt. of Bihar by the Managing Director of BSPTCL requesting permission to convert the amount shown as loan to equity capital. During F.Y. 2018-19 Rs.195,95,94,995/- has been converted to equity without obtaining any permission from the Energy Department of Govt. of Bihar. This implies that this amount was wrongly shown as loan instead of equity since the date of disbursement along with subsequent amount received on this account.

श्री प्रमोद तिवारी द्वारा BSPTCL एवं BSP(H)CL के मध्य होने वाले लेन–देन को अनावश्यक रुप से भ्रम की स्थिति उत्पन्न करने के उद्देश्य से BSPTCL एवं ऊर्जा विभाग और वित्त विभाग के मध्य का बनाकर प्रस्तुत किया गया। इस संदर्भ में श्री प्रमोद तिवारी ने दिनांक–17.08.2016 के अपने प्रस्ताव पर प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रान्सिमिशन कंपनी लिमिटेड से प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार को संबोधित एक पत्र पर अनुमोदन प्राप्त किया। इस प्रस्ताव पर कंपनी प्रबंधन से अनुमोदन प्राप्त करने का श्री प्रमोद तिवारी का एक मात्र उद्देश्य विभिन्न अंकेक्षण आपत्तियों से अपने बचाव के लिए अभिलेख तैयार करना था क्योंकि श्री प्रमोद तिवारी ने अपने पद का दुरूपयोग करते हुए प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रान्सिमिशन कंपनी लिमिटेड से प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार को संबोधित पत्र प्रारूप पर अनुमोदन

प्राप्त करने के उपरान्त इस पत्र को निर्गत नहीं होने दिया। ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या–2175 दिनांक–30.06.2014 का अनुपालन ना करने के कारण ऋण एवं अंशपूँजी के गलत लेखांकन के संबंध में जब महालेखाकार एवं वैधानिक अंकेक्षकों द्वारा आपत्ति दर्ज की गई तो श्री प्रमोद तिवारी ने अपने इस कृत्य को छिपाने की गलत मंशा से संचिका संख्या Acctt/Loan/Equity/2017/2016 मे बिहार स्टेट पावर ट्रान्सिमिशन कंपनी लिमिटेड और बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड के मध्य होने वाले लेन–देन को अनावश्यक रूप से भ्रम की स्थिति उत्पन करने के उद्देश्य से इसे बिहार स्टेट पावर ट्रान्सिमिशन कंपनी लिमिटेड और ऊर्जा एवं वित्त विभाग, बिहार सरकार के मध्य का बनाकर प्रस्तुत किया गया। श्री प्रमोद तिवारी ने इस संबंध में प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रान्सिमिशन कंपनी लिमिटेड से प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार को संबोधित दिनांक–17.08.2016 के अपने प्रस्ताव पर अनुमोदन प्राप्त किया। श्री प्रमोद तिवारी के इस भ्रामक प्रस्ताव पर कंपनी प्रबंधन से अनुमोदन प्राप्त करने का एक मात्र उद्देश्य विभिन्न अंकेक्षण आपत्तियों से अपने बचाव के लिए अभिलेख तैयार करना था क्योंकि श्री प्रमोद तिवारी ने अपने पद का दुरूपयोग करते हुए प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रान्सिमिशन कंपनी लिमिटेड से प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार को संबोधित पत्र प्रारूप पर अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त इस पत्र को निर्गत नहीं होने दिया। इस संबंध में श्री प्रमोद तिवारी द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया है कि उनके द्वारा तदेन प्रबंध निदेशक श्री आर0 लक्ष्मणन को संचिका उपस्थापित की गई थी तथा उनका स्थानान्तरण दिनांक–16.07.2017 को हो गया था, एवं उक्त तिथि तक संचिका एवं पत्र नही लौटा था अतः उन्हें नही मालूम की वे पत्र निर्गत हुआ अथवा नहीं। दिनांक–18.05.2018 को उनका पुनः पदस्थापन ट्रांसमिशन कम्पनी में होने पर उक्त संचिका मे पत्र नही लगा हुआ था। अतः उनके द्वारा दूसरा प्रारुप दिनांक– 03.08.2017 को उपस्थापित किया गया जिस पर दिनांक–28.09.2017 को अनुमोदन प्राप्त हो गया। अतः उनके द्वारा किसी को mislead करने अथवा किसी प्रकार का भ्रम उत्पन्न करने की कोशिश नही की गयी। विदित हो कि श्री तिवारी द्वारा दिनांक–17.08.2016 को तदेन प्रबंध निदेशक श्री आर0 लक्ष्मणन को तथाकथित रूप से उपस्थापित संचिका के संबंध में न तो कोई प्रमाण उपलब्ध कराया गया है और न ही अनुमोदित प्रारूप पत्र के निर्गत न किए जाने के संबंध में कोई तार्किक आधार ही प्रस्तुत किया गया है। वास्तव मे श्री प्रमोद तिवारी ने दिनांक–17.08.2016 के अपने प्रस्ताव पर प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रान्सिमिशन कंपनी लिमिटेड से प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार को संबोधित एक पत्र पर अनुमोदन प्राप्त किया है। उनके द्वारा लगभग 11 महीने बाद अर्थात दिनांक–16.07.2017 को अपने स्थानान्तरण का जिक्र करते हुए अपने आप को इस मामले से अनभिग्य बताया गया है जबकि संचिका तथा संचिका के प्रस्तावों के अवलोकन से

यह प्रमाणित होता है कि कार्यालय में कनीय स्तर के सहायक, लेखा पदाधिकारी, वरीय प्रबंधक एवं उप महाप्रबंधक के होते हुए संचिका सीधे आरोपित पदाधिकारी श्री प्रमोद तिवारी के द्वारा प्रबंध निदेशक के समक्ष उपस्थापित की गयी है। इससे यह सिद्ध होता है कि यह संचिका श्री प्रमोद तिवारी के द्वारा अपने पास ही रखी गयी थी और जब भी वैद्यानिक अंकेक्षकों द्वारा गलत लेखांकन के संबंध में प्रश्न उठाया जाता था तो उनके द्वारा अपने सुविधा अनुसार अपने पद का दुरूपयोग करते हुए कम्पनी प्रबंधन से हाथों–हाथ संचिका का संचालन करते हुए इस प्रकार की जालसाजी की जाती थी।

जब वर्ष 2017 के लेखों पर अंकेक्षकों द्वारा इस विषय पर आपत्ति दर्ज की गई तो अंकेक्षण आपत्ति से अपने बचाव के लिए पूर्व की ही अपनी कुटिलता को दोहराते हुए इस वर्ष भी श्री प्रमोद तिवारी के द्वारा दिनांक–03.08.2017 को उसी प्रस्ताव पर बिना पूर्व के अनुमोदित पत्र की परिचर्चा किये हुए ही समविषयक एक नये पत्र को प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रान्सिमिशन कंपनी लिमिटेड से अनुमोदित करा लिया गया। वर्ष 2017–18 के वैधानिक अंकेक्षण प्रतिवेदन की कंडिका 03 से यह सम्पुष्ट होता है कि श्री प्रमोद तिवारी ने पूर्व के वर्षो में की गई वित्तीय अनियमितता की अंकेक्षण कंडिका से अपने बचाव के लिए अपने पद का दुरूपयोग करते हुए जालसाजी कर भ्रामक स्थिति उत्पन्न किया और प्रबंध निदेशक, से अपने प्रस्ताव पर अनुमोदन प्राप्त किया। इस तथ्य की संपुष्टि इस बात से भी हो जाती है कि श्री प्रमोद तिवारी ने तथाकथित ऋण की राशि रूपया–195.9595 करोड़ को बिना प्रबंध निदेशक, से पूर्व अनुमति प्राप्त किये ही गलत तथ्यों के आधार पर पर अन्य राशि रूपया–3616.7441 करोड़ के साथ रूपया–195.9595 करोड़ को जोड़ते हुए यह प्रस्ताव दिया गया कि यह समस्त रूपया–3812.7036 करोड़ की राशि अंशपूँजी के आवंटन योग्य है जिसे कंपनी की अधिकृत पूँजी की परिसीमा की कमी के कारण आवंटित नहीं किया जा सका था। अब, जबकि अधिकृत पूँजी की परिसीमा की कमी को पूरा कर लिया गया है इस लिए इस राशि को आवंटित किया जा सकता है और रूपया–195.9595 करोड़ को दिनांक 23.05.2018 को कंपनी के अंशपूँजी में परिवर्तित कर दिया।

यह तथ्य सर्वथा प्रमाणित है कि श्री तिवारी के द्वारा दिनांक–03.04.2018 को जो प्रस्ताव दिया गया था उसमें रूपया 195.9595 करोड़ का कोई उल्लेख नहीं था परन्तु पुनः श्री प्रमोद तिवारी द्वारा पूर्व के अपने प्रस्ताव के बिलकुल विपरीत दिनांक–20.04.2018 को अपने की हस्ताक्षर/सहमति/अनुमोदन से जालसाजी द्वारा एक गलत एजेन्डा रूपया 195.9595 करोड़ को जोड़ते हुए BOD के समक्ष उपस्थापित किया और फलस्वरूप राशि में हेर फेर करते हुए ऋण को अंशपूंजी में परिवर्तित कर लिया गया। वस्तुतः रूपया 195.9595 करोड़ जो की ऋण के रूप में लेखांकित था को अंशपूँजी में परिवर्तित करने के संबंध में न तो प्रबंध निदेशक का और न हीं

BOD का अनुमोदन प्राप्त था। श्री प्रमोद तिवारी ने कंपनी की पुस्तकों में लेखांकित तथा कथित ऋण को अंश पूँजी के रूप में लेखांकित करने के संबंध में कोई भी अनुमोदन कभी प्राप्त ही नहीं किया है। श्री प्रमोद तिवारी ने कंपनी की पुस्तकों में लेखांकित ऋण को अंश पूँजी के रूप में लेखांकित ना किये जाने के लिए दिनांक–23.05.2018 से पूर्व तक जितने भी भ्रामक मानक स्थापित किये गये थे, उनको दरकिनार करते हुए दिनांक–23.05.2018 को कंपनी के निदेशक मंडल की 69वीं बैठक में बिना प्रबंध निदेशक की किसी पूर्व अनुमति के एक बार पुनः अपूर्ण एवं गलत तथ्यों के आधार पर अन्य राशि रूपया–3616.7441 करोड़ के साथ रूपया–195.9595 करोड़ को जोड़ते हुए यह प्रस्ताव दिया गया कि यह समस्त रूपया–3812.7036 करोड़ की राशि अंशपूँजी के आवंटन योग्य है जिसे कंपनी की अधिकृत पूँजी की परिसीमा की कमी के कारण आवंटित नहीं किया जा सका था। अब, जबकि अधिकृत पूँजी की परिसीमा की कमी को पूरा कर लिया गया है इस लिए इस राशि को आवंटित किया जा सकता है। श्री प्रमोद तिवारी को जब वर्ष 2017–18 के अंकेक्षण के क्रम में यह अंदेशा हो गया कि उनके द्वारा वर्ष 2014 से ही की जा रही वित्तीय अनियमितता संज्ञान में आ सकती है तो श्री प्रमोद तिवारी का निदेशकमंडल की 69वीं बैठक का प्रस्ताव निम्न प्रकार था:–

"Further, The Company in its Annual General Meeting held on 22/09/2017 increased its Authorized Capital from Rs. 3000 crore to Rs. 7000 crore.

Further, an amount of Rs. 3812,70,36,080 which is given to the company for undertaking various projects, is still kept pending allotment as the Authorised capital of the company was much less than the amount received as equity investment.

In view of above, a proposal is placed before the Board of Directors to offer the Equity Share Capital of BSPTCL, divided into 3812703608 shares of Rs. 10/- each to the Promoter of the Company i.e. BSPHCL, represented by CMD, BSPHCL, which is received as equity capital from the promoter during the Financial Year 2016-17, 2017-18 and exhibited in the books of accounts of the company as advance towards allotment of securities pending allotment.

This has got approval of Managing Director of the Company."

निदेशक मंडल के समक्ष गलत तथ्य देने का यह अत्यन्त ही गंभीर मामला है। अपने ही द्वितीय स्पष्टीकरण के जवाब में कंडिका–1 के उत्तर में श्री तिवारी द्वारा अंकेक्षकों और आयकर विभाग को दिए गए प्रतिवेदन के संबंध में परस्पर विरोधाभासी बातें कहीं गई है। इस संबंध में श्री

प्रमोद तिवारी के द्वितीय स्पष्टीकरण के जवाब प/9 की कंडिका–2 उल्लेखनीय है जिसमें श्री प्रमोद तिवारी द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि उनके द्वारा आयकर विभाग के समक्ष रूपया–195.9595 करोड़ को अंशपूंजी के रूप में प्रदर्शित किया है जो की सही है। श्री तिवारी के उत्तर का उद्धरण निम्न प्रकार है :–

"The Undersigned merely stated that what was incorporated in letter dated 30.06.2014"

यह प्रमाणित करता है कि उनके द्वारा जान बूझकर अपनी सुविधानुसार कम्पनी के लेखा को प्रभावित किया गया है जिसके परिणामस्वरूप कंपनी को रूपये–30.19 करोड़ की वित्तीय क्षति हुई है। श्री प्रमोद तिवारी द्वारा इस संबंध में भी कोई उत्तर नहीं दिया गया है कि उन्होंने कंपनी के वार्षिक लेखों में राज्य योजना से स्वीकृत रूपया–200.86 करोड़ में से वित्तीय वर्ष 2013–14 में बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड से प्राप्त रूपया–55.89 करोड को तो अतंर कंपनी मद में लेखांकित किया वहीं दूसरी तरफ वित्तीय वर्ष 2016–17 में होल्डिंग कम्पनी से प्राप्त रूपया–144.59 करोड को राज्य सरकार के ऋण के रूप में लेखांकित किया और बिना किसी प्रधिकार के इस तथाकथित ऋण पर मनमाने तरीके से 10.50 प्रतिशत की दर से ब्याज भी भारित किया।

श्री तिवारी के द्वारा विभागीय कार्यवाही के दौरान असहयोग के उद्देश्य से ऐसे अभिलेखों की मांग की जाती रही जिन्हें उनके कार्यकाल में उन्हीं के द्वारा तैयार किया गया था और कोई तथ्य परक उत्तर देने के स्थान पर अपनी सुविधा के अनुरूप शब्दों के व्याख्यात्मक विश्लेषण से इस मामले को उलझाने एवं भ्रम की स्थिति उत्पन्न करे की चेष्टा की गई। श्री तिवारी द्वारा समर्पित द्वितीय काण पृच्छा के उत्तर में स्वयं इस तथ्य के स्वीकार किया गया है कि उनके द्वारा अलग–अलग समय पर अपनी सुविधा के आधार पर तथ्यों का अलग–अलग विश्लेषण किया है और कंपनी प्रबंधन को जान बूझकर भ्रमित करने का कार्य किया है। उनके द्वारा जान बूझ कर अपने पद का दुरूपयोग कर प्रबंध निदेशक और निदेशक मंडल के समक्ष विगत चार वर्षों से गलत तथ्य उपस्थापित किया है और वित्तीय वर्ष 2018–19 में तो बिना प्रबंधन की स्वीकृति के ही ऋण को अंश पूँजी में परिवर्तित करने का जालसाजी किया है।

तदालोक में यह सम्पुष्ट है कि श्री तिवारी ने जानबूझकर अपने पद का दुरूपयोग करते हुए स्वेच्छाचारी आचरण और जालसाजी प्रवृत्ति की नियत से अपनी सुविधानुसार रूपया–195.9595 करोड़ का ना केवल गलत लेखांकन किया है बल्कि कंपनी प्रबंधन एवं निदेशक मंडल को भी विरोधाभासी एवं अपूर्ण तथ्यों के आधार पर गुमराह करने का कदाचार भी किया है। इनके इस कृत्य के कारण कंपनी को भारी वित्तीय हानि हुई है। कंपनी का वित्त इनके हाँथों में कदापि सुरक्षित नहीं

है और वित्त जैसे सवेंदनशील मामलों में किसी भी प्रकार से इनकी उपस्थिति कंपनी के वित्तीय दृषिट्कोण से हानिकारक है। अतएव उपर्युक्त प्रमाणित गंभीर आरोपों एवं कंपनी को हुई गंभीर वित्तीय क्षति के कारण श्री प्रमोद तिवारी को सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया है।

तदनुसार, श्री प्रमोद तिवारी, महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) को सेवा से बर्खास्त करने का दंड दिया जाता है। यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति श्री प्रमोद तिवारी, महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) को हस्तगत करा दी जाए।

आदेश से

(आर0 एन0 लाल)
महाप्रबंधक (मा0सं0/प्र0)

ज्ञापांकः– 395 पटना, दिनांक– 03/02/2020

प्रतिलिपिः– अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक के विशेष कार्य पदाधिकारी/निदेशक (प्रशासन) के आप्त सचिव, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड/प्रबंध निदेशक के विशेष कार्य पदाधिकारी/आप्त सचिव, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड/ प्रबंध निदेशक के विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार स्टेट पावर जेनेरेशन कंपनी लिमिटेड/ प्रबंध निदेशक के विशेष कार्य पदाधिकारी, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड/ प्रबंध निदेशक के विशेष कार्य पदाधिकारी, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को सूचनार्थ।

(आर0 एन0 लाल)
महाप्रबंधक (मा0सं0/प्रशा0)

ज्ञापांकः– 395 पटना, दिनांक– 03/02/2020

प्रतिलिपिः– निदेशक (परियोजना)/ निदेशक (परिचालन)/सभी मुख्य अभियंता/ सभी महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता/ सभी महाप्रबंधक (मा0सं0/प्रशा0)/ सभी उपमहाप्रबंधक (मा0सं0/प्रशा0)/ सभी महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)/ सभी उपमहाप्रबंधक (मा0सं0/प्रशा0)/ सभी उपमहाप्रबंधक (कार्मिक)/ सभी उपमहाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)/ सभी विद्युत अधीक्षण अभियंता/ सभी उप सचिव/ सभी वरीय प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)/ सभी विद्युत कार्यपालक अभियंता/ सभी अवर सचिव/सभी डी0बी0ए0/कम्पनी सचिव/ सभी प्रशासी पदाधिकारी/ सभी लेखा पदाधिकारी/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(आर0 एन0 लाल)
महाप्रबंधक (मा0सं0/प्रशा0)